छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
Email ID:- usecy-gad13.cg@gov.in
––00––

क्रमांक **GENS-2001/65/2025-GAD-13** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /05/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– सामान्य प्रशासन विभाग की आर.टी.आई पोर्टल में पदनामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्व–पंजीयन बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7–1/2021/1–13 पत्र दिनांक 29.01.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 02.02.2022, 07.03.2022, 13.04.2022, 08.06.2022, 03.08.2022, 17.10.2022, 21.11.2022, 29.03.2023, 23.05.2023, 23.08.2023, 08.11.2023 एवं मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक 678/मु.स./2023 ,08.12.2023, 25.10.2024 एवं दिनांक 19.03.2025
––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। सामान्य प्रशासन विभाग के आरटीआई पोर्टल में प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं मैदानी क्षेत्र के कार्यालयों में पदनामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का आर.टी. आई पोर्टल URL - https://rtionline.cg.gov.in पर स्व–पंजीयन की कार्यवाही अपेक्षित होने के कारण समय–समय में बार–बार निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु आज दिनांक तक कुछ विभागों के स्व–पंजीयन की कार्यवाही अपेक्षित है।

2/ आवेदकों द्वारा छ0ग0 राज्य सूचना आयोग को अवगत कराया गया है कि अभी भी कुछ विभागों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का पंजीयन ऑनलाईन पोर्टल में नहीं हुआ है। ऑनलाईन पोर्टल में दर्शित रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 11,693 ग्राम पंचायत हैं, तथा पोर्टल में 7,400 जनसूचना अधिकारी ही पंजीकृत हैं, इसी प्रकार वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गृह एवं जेल विभाग सहित समस्त विभागों में अभी भी ऐसे जनसूचना अधिकारी हैं, जिनका पंजीयन पूर्ण नहीं हुआ है।

क्रमश............2.........

3/ ऑनलाईन पोर्टल में समस्त जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का पंजीयन पूर्ण हो जाने के पश्चात् जनसूचना अधिकारी ऑनलाईन दस्तावेजी शुल्क की मांग कर सकते हैं, तथा ऑनलाईन शुल्क प्राप्त होने के पश्चात् वांछित सूचना को समय–सीमा में अपलोड कर सकते हैं। आवेदकों के आवेदनों को स्वीकार करना, अंतरित करना एवं अपूर्ण आवेदनों को निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उसी समय आवेदकों को मिल जायेगी। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी भी ऑनलाईन नोटिस भेज सकेगें, तथा सुनवाई के पश्चात् प्रथम अपीलीय आदेश भी अपलोड कर सकेगें। उक्त प्रक्रिया में बार–बार डाक भेजने के शुल्क की बचत होगी तथा अनावश्यक पत्राचार करने के समय में बचत होगी। साथ ही आवेदकों को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त हो सकेगी।

4/ स्व–पंजीयन में किसी भी समस्या का समाधान हेतु जिले में स्थित एनआईसी केन्द्र के जिला सूचना अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उक्त आशय के निर्देश राज्य सूचना अधिकारी द्वारा दिये जा चुके हैं।

5/ निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी आर.टी.आई. पोर्टल पर स्व–पंजीयन (ऑनबोर्डिंग) अनिवार्य रूप से करते हुए स्व–पंजीयन पूर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की संख्या की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे, ताकि पोर्टल में दर्ज जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की संख्या से अंतर की जानकारी मिलान की जा सकेगी।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ.क्रमांक **GENS-2001/65/2025-GAD-13** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /05/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by
ANJU SINGH
Date: 29-05-2025
11:27:04

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रपत्र

मंत्रालय / विभागाध्यक्ष / संभाग / जिला / जनपद पंचायत / विकासखंड / ग्राम पंचायत स्तर पर

<table>
<tr><th rowspan="2">स. क्र.</th><th rowspan="2">स्तर</th><th colspan="3">जनसूचना अधिकारी</th><th colspan="3">प्रथम अपीलीय अधिकारी</th></tr>
<tr><th>कुल जनसूचना अधिकारियों की संख्या</th><th>ऑनबोर्डिंग जनसूचना अधिकारियों की संख्या</th><th>ऑनबोर्डिंग हेतु शेष जनसूचना अधिकारियों की संख्या</th><th>कुल प्रथम अपीलीय अधिकारियों की संख्या</th><th>ऑनबोर्डिंग प्रथम अपीलीय अधिकारियों की संख्या</th><th>ऑनबोर्डिंग हेतु शेष प्रथम अपीलीय अधिकारियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>मंत्रालय स्तर पर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>विभागाध्यक्ष स्तर पर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संभाग स्तर पर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जिला स्तर पर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>जनपद पंचायत स्तर पर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>ग्राम पंचायत स्तर पर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

टीप :— कृपया यह भी उल्लेख करे कि शेष जनसूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारियों का स्वपंजीयन कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
Email ID:-deputysecretary-gad@cg.gov.in, Ph. No.:- 0771-2510825

––00––

क्रमांक **GENS-2001/65/2025-GAD-13** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /03/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– सामान्य प्रशासन विभाग की आर.टी.आई पोर्टल में पदनामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्व–पंजीयन बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र कमांक एफ 7–1/2021/1–13 पत्र दिनांक 29.01.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 02.02.2022, 07.03.2022, 13.04.2022, 08.06.2022, 03.08.2022, 17.10.2022, 21.11.2022, 29.03.2023, 23.05.2023, 23.08.2023, 08.11.2023 एवं मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र कमांक 678/मु.स./2023 ,08.12.2023 एवं दिनांक 25.10.2024

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। सामान्य प्रशासन विभाग के आरटीआई पोर्टल में प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं मैदानी क्षेत्र के कार्यालयों में पदनामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का आर.टी. आई पोर्टल URL - https://rtionline.cg.gov.in पर सभी संबंधितों के द्वारा दिनांक 26.12.2023 तक स्व–पंजीयन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है तथा कार्यवाही अपेक्षित होने पर समय–समय में बार–बार स्मरण पत्र भी जारी किया गया है, किन्तु कार्यवाही आज दिनांक तक अपेक्षित है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 12.10.2022 को आरटीआई पोर्टल का लोकार्पण किया गया है।

2/ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक (सिविल) 360/2021 (किशन चंद जैन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2023 में दिए गए निर्देश के अनुसार दिनांक 31.12.2023 तक पदनामित जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को स्व पंजीयन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

3/ परन्तु प्रशासकीय विभाग के **अधीनस्थ कार्यालयों के पदनामित जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों का आरटीआई पोर्टल पर स्व–पंजीयन (ऑनबोर्डिंग) का कार्य नहीं किया गया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि** जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के पंजीयन करने के उपरांत ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों की नियमित अवलोकन नहीं करते हैं, जिससे अधिनियम में दी गई निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आयोग में द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

कमश.............2.........

4. निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों आर.टी.आई. पोर्टल पर स्व–पंजीयन (ऑनबोर्डिंग) अनिवार्य रूप से करें साथ ही स्व–पंजीयन पूर्ण होने का उक्त आशय का प्रमाण पत्र छ0ग0 राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करते हुए इस विभाग को भी उपलब्ध करावें। जिन जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पंजीयन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध प्रशासकीय विभाग नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही संचालनालय स्तर संभागस्तर एवं जिला स्तर पर विभागवार एक–एक नोडल अधिकारी को पदनामित करें जिन्हें ऐसे प्रकरणों के विरूद्ध जिसमें जनसूचना अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, उनकी उपस्थिति हेतु विभागों में नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिली करायी जा सके और नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग के नोटिस को संबंधित जनसूचना अधिकारी को तामील करा कर आयोग को सूचित करेंगे।

समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष/संचालनालय स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को पदनामित करने के संबंध में नोडल अधिकारियों की सूची नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, विभाग, मोबाईल नंबर सहित छ0ग0 राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ.क्रमांक **GENS-2001/65/2025-GAD-13** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/03/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by
Anju Singh
Date: 18-03-2025 16:29:53

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय - छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन-492002
आवक क्रमांक 654
02 APR 2025
सचिव / अवर सचिव

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की ऑन-बोर्डिंग स्थिति
14-05-2025, 11:00:48 am

क्र.	मुख्य विभाग का नाम	जन सूचना अधिकारी ऑनबोर्डेड	प्रथम अपील अधिकारी ऑनबोर्डेड	कार्यालय ऑनबोर्डेड
1	2	3	4	5
1	Agriculture Department	326	14	498
2	Animal Husbandry Department	67	11	96
3	Aviation department	1	1	2
4	Chhattisgarh Vidhan Sabha	0	0	0
5	Chief Minister's Secretariat	1	1	3
6	Commercial Tax Department (Excise)	74	11	107
7	Commercial Tax Department (GST)	20	15	36
8	Commercial Tax Department (Registration)	126	24	204
9	Cooperative Department	40	7	59
10	Culture department	2	1	2
11	Department of Commerce and Industry	44	31	44
12	Department of Energy	93	29	182
13	Department of Parliamentary Affairs	0	0	0
14	Department of Public Enterprises	3	0	3
15	Department of public health and public welfare	135	33	198
16	Department of Sports and Youth Welfare	18	3	28
17	Department of Water Resources	159	45	306
18	finance department	60	10	89
19	Fisheries department	38	1	65
20	Food Civil Supplies and Consumer Protection Department	551	30	1175
21	Forest Department	549	49	1092
22	General Administration	41	42	85
23	Higher Education Department	251	15	281
24	Home department	613	212	1386
25	Horticulture department	41	3	42
26	Housing and Environment Department	98	35	130
27	Jail department	66	20	77
28	Labour Department	55	39	63
29	Law and Legislative Affairs Department	9	3	11
30	Medical Education (Ayush) Department	31	3	69
31	Medical Education Department	8	8	9
32	Mineral Resources Department	26	7	29
33	Ministry of Information Technology	1	3	3
34	MP office	0	0	0
35	Panchayat and Rural Development Department	7400	152	12641
36	Planning, Economic and Statistics Department	35	10	41
37	Public Grievance Redressal Department	2	1	3
38	Public Health Engineering Department	90	38	132
39	public relations Department	35	5	71
40	Public Works Department	49	19	90
41	Rehabilitation department	0	0	0

क्र.	मुख्य विभाग का नाम	जन सूचना अधिकारी ऑनबोर्डेड	प्रथम अपील अधिकारी ऑनबोर्डेड	कार्यालय ऑनबोर्डेड
1	2	3	4	5
42	Religious Trust and Religion Department	0	0	0
43	Revenue Department	183	96	366
44	Rural industries department	45	7	58
45	School Education Department	4978	46	9740
46	Science and Technology Department	3	3	4
47	Social Welfare Department	33	7	45
48	Technical Education and Manpower Planning Department	332	26	461
49	Tourism department	3	3	3
50	Transport Department	58	20	85
51	Tribal and Scheduled Castes Development Department	114	18	160
52	Twenty Point Implementation Department	0	0	0
53	Urban Administration and Development Department	226	184	265
54	Water Resources Department	33	16	69
55	Women and Child Development Department	185	30	348
	Total	**17351**	**1387**	**30956**

लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकाकारियो के द्वारा संकलित शुल्क का विवरण (वर्ष - 2025)
14-05-2025, 10:56:34 am

क्र.	विभाग	अधिनियम की धारा - 6(1) के तहत प्राप्त शुल्क का विचरण (रू.)	अधिनियम की धारा - 7(1) के तहत प्राप्त शुल्क का विचरण (रू.)	अधिनियम की धारा - 7(5) के तहत प्राप्त शुल्क का विचरण (रू.)	योग (कॉलम 3+4+5) (रू.)
1	2	3	4	5	6
1	Agriculture Department	2060	576	0	2636
2	Animal Husbandry Department	140	592	0	732
3	Aviation department	10	0	0	10
4	Chhattisgarh Vidhan Sabha	0	0	0	0
5	Chief Minister's Secretariat	130	0	0	130
6	Commercial Tax Department (Excise)	430	1864	0	2294
7	Commercial Tax Department (GST)	40	0	0	40
8	Commercial Tax Department (Registration)	380	34	0	414
9	Cooperative Department	900	652	0	1552
10	Culture department	0	0	0	0
11	Department of Commerce and Industry	680	560	0	1240
12	Department of Energy	950	0	0	950
13	Department of Parliamentary Affairs	0	0	0	0
14	Department of Public Enterprises	0	0	0	0
15	Department of public health and public welfare	3190	1567	0	4757
16	Department of Sports and Youth Welfare	140	4	0	144
17	Department of Water Resources	970	2642	0	3612
18	finance department	670	2692	0	3362
19	Fisheries department	220	214	0	434
20	Food Civil Supplies and Consumer Protection Department	810	160	0	970
21	Forest Department	5270	20815	0	26085
22	General Administration	16370	448509	0	464879
23	Higher Education Department	1580	320	0	1900
24	Home department	2490	1018	0	3508
25	Horticulture department	550	1156	0	1706
26	Housing and Environment Department	1250	3297	0	4547
27	Jail department	230	110	0	340
28	Labour Department	750	980	0	1730
29	Law and Legislative Affairs Department	250	0	0	250
30	Medical Education (Ayush) Department	270	118	0	388
31	Medical Education Department	700	856	0	1556
32	Mineral Resources Department	380	0	0	380
33	Ministry of Information Technology	80	0	0	80
34	MP office	0	0	0	0
35	Panchayat and Rural Development Department	18580	20717	0	39297
36	Planning, Economic and Statistics Department	120	308	0	428
37	Public Grievance Redressal Department	100	0	0	100

क्रं.	विभाग	अधिनियम की धारा - 6(1) के तहत प्राप्त शुल्क का विचरण (रू.)	अधिनियम की धारा - 7(1) के तहत प्राप्त शुल्क का विचरण (रू.)	अधिनियम की धारा - 7(5) के तहत प्राप्त शुल्क का विचरण (रू.)	योग (कॉलम 3+4+5) (रू.)
38	Public Health Engineering Department	590	0	0	590
39	public relations Department	560	0	0	560
40	Public Works Department	1060	606	0	1666
41	Rehabilitation department	0	0	0	0
42	Religious Trust and Religion Department	0	0	0	0
43	Revenue Department	4370	210	0	4580
44	Rural industries department	170	4	0	174
45	School Education Department	5110	206	0	5316
46	Science and Technology Department	0	0	0	0
47	Social Welfare Department	350	2	0	352
48	Technical Education and Manpower Planning Department	2400	1422	0	3822
49	Tourism department	20	168	0	188
50	Transport Department	830	814	0	1644
51	Tribal and Scheduled Castes Development Department	2200	2055	0	4255
52	Twenty Point Implementation Department	0	0	0	0
53	Urban Administration and Development Department	4130	2480	0	6610
54	Water Resources Department	130	96	0	226
55	Women and Child Development Department	1350	6410	0	7760
	Total	**83960**	**524234**	**0**	**608194**